

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, चूरु

क्रमांक: f14 () relief/kharif/2078/775-84

दिनांक: 13/04/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2078/CHU/0004139

प्रशासनिक स्वीकृति

वर्ष:- अभाव संवत् 2078 के प्रभावित कृषकों हेतु कृष आदान अनुदान वावत् ।

राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सूखा प्रकोप से प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 (खरीफ-2021) में कृष आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
तारानगर	365	0 0 0 0 0 0 0 0	33% -50%	4964000
योग	365			4964000

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[06]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

प्रतिपक्ष:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, *बी. क. के. ट.*
3. प्रशासक सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सहायक, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद..... *यूसू*
6. अति. जिला कलेक्टर..... *यूसू*
7. तहसीलदार *ला. क. ग.*
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी..... *यूसू*
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर..... *यूसू*
10. रक्षित पत्रावली।

13/4
जिला कलेक्टर,
चूरु

13/4
जिला कलेक्टर,
चूरु